भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1679
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थ समन्वय तंत्र

†1679. डॉ. के. सुधाकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय एवं राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करने में इसकी प्रभावशीलता क्या है;
(ख) सीमा पार और अंतर-राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), राज्य नार्कोटिक्स विरोधी कार्य बलों (एएनटीएफ) और सीमा सुरक्षा बलों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बार-बार अंतर-राज्यीय अपराध करने वालों पर नज़र रखने के लिए निदान (नेशनल इन्टीग्रेटिड डाटाबेस ऑन अरेस्टिड नार्को-ऑफेन्डर्स) जैसे केंद्रीकृत डिजीटल डेटाबेस को कार्यान्वित किया है;
(घ) क्या मामलों में 'चिंताजनक' वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों को नार्कोटिक्स विंग और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है; और
(ङ) नशामुक्त भारत अभियान को कानून प्रवर्तन अभियानों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि उपयोगकर्ताओं पर की गई कार्रवाई नशामुक्ति और पुनर्वास लक्ष्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने नार्को-समन्वय (एनसीओआरडी) तंत्र के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी और अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ किया है। यह मादक पदार्थों की तस्करी, प्रीकर्सरों के डायवर्जन, मांग में कमी और पुनर्वास की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक संरचित, संस्थागत मंच प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवर्तन संबंधी परिणामों और आसूचना के आदान-प्रदान में सुधार हुआ है। एनसीओआरडी शीर्ष, कार्यकारी, राज्य तथा जिला स्तरों पर लगातार

सक्रिय और कार्यात्मक रहा है। नीति निर्माण संबंधी मार्गदर्शन, अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाने और समग्र मादक पदार्थ नियंत्रण ढांचे की समीक्षा करने के लिए अब तक 9 शीर्ष एनसीओआरडी बैठकें तथा 6 कार्यकारी एनसीओआरडी बैठकें आयोजित की गई हैं। परिचालन स्तर पर, देश भर में 253 राज्य एनसीओआरडी बैठकें और 12,471 जिला एनसीओआरडी बैठकें आयोजित की गई हैं, जिससे समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई, आसूचना के आदान-प्रदान और जमीनी स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी के रुझानों की नियमित निगरानी संभव हो पाई है। इन बैठकों ने एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत किया है, संयुक्त अभियानों की सुविधा प्रदान की है और राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी के सक्रिय नेटवर्क के खिलाफ केंद्रित पहलों में सहयोग किया है।

(ख): सरकार ने सीमा-पार और अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और सीमा सुरक्षा बलों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(ii) नशीले पदार्थों की जब्ती की महत्वपूर्ण जांचों की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सहयोग करता है, ताकि संयुक्त मादक पदार्थ-रोधी अभियान चलाए जा सकें।

(iv) बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नार्को-तस्करी को सुविधाजनक बनाने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी करने, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी पर इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क को रोकने, रुझानों, कार्यप्रणाली तथा नोड्स को निरंतर कैप्चर करने और डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाने तथा संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा करने पर केंद्रित है।

(v) राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाने, वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर आसूचना को साझा करने की सुविधा प्रदान करने, प्रभावी परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने और ब्यूरो की भौगोलिक उपस्थिति में सुधार करने हेतु, एनसीबी ने श्रीनगर, सिलीगुड़ी, अगरतला और ईटानगर जैसे प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना की है।

(vi) सरकार ने सक्रिय प्रवर्तन एवं प्रभावी समन्वय के लिए बरेली (उत्तर प्रदेश), फिरोजपुर (पंजाब), मंडी (हिमाचल प्रदेश), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह), दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), श्रीगंगानगर (राजस्थान), मदुरै (तमिलनाडु), मैंगलोर (कर्नाटक) और नागपुर (महाराष्ट्र) में एनसीबी की फील्ड इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बलों आदि के बीच समन्वय की सुविधा देने के लिए अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में उप महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) की अध्यक्षता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(vii) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं पर और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग): सरकार ने एनसीबी द्वारा अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के सहयोग से विकसित गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस (निदान) नामक एक केन्द्रीकृत डिजिटल डाटाबेस कार्यान्वित किया है।

निदान पोर्टल देश भर में सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अपराधियों के डेटा को एकीकृत करता है, जिसमें पहचान संबंधी विवरण, तस्वीरें, उंगलियों के निशान, मामले का विवरण और अदालत से संबंधित जानकारी शामिल है। निदान अखिल भारतीय ई-कारागार और एनसीबी के डेटाबेस से अपना डेटा लेता है। वर्तमान में, डेटाबेस में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9.50 लाख गिरफ्तार और दोषसिद्ध व्यक्तियों का खोज योग्य (सर्चेबल) डेटा है। यह डाटाबेस पुलिस स्टेशन स्तर तक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और अपराध विधि प्रवर्तन एजेंसियों (सीएलईए) के प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस (निदान) जमानत का विरोध करने, जमानत रद्द करने, आदतन अपराधियों की निगरानी करने और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत प्रस्तावों को तैयार करने में जांच एजेंसियों को सुविधा प्रदान करता है और उनकी सहायता करता है, जिससे समन्वित और सक्रिय प्रवर्तन कार्रवाई मजबूत होती है।

(घ): सरकार ने फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के आधुनिकीकरण/उन्नयन के

घटक के लिए 420 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, "मादक पदार्थों पर नियंत्रण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत, एनडीपीएस पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई) देश में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) और नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी अस्पतालों आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। मादक पदार्थों के इस्तेमाल के बढ़ते खतरे से प्रभावित नागरिकों के लिए जन जागरूकता, पुनर्वास सहायता के लिए एनएमबीए और एनएपीडीडीआर और अन्य एजेंसियों के तहत किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं: -

(i) नशा मुक्त भारत अभियान को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9.32 करोड़ युवाओं, 6.35 करोड़ महिलाओं और 16.07 लाख शैक्षणिक संस्थानों सहित 25.87 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है।

(ii) एनएमबीए की सहायता करने और जन जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियों का आयोजन करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) सरकार देश भर में 349 एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 45 समुदाय आधारित पीयरलेड इंटर्वेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों, 76 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 154 व्यसन उपचार सुविधा केंद्रों (एटीएफ) और 145 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(iv) नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित किया जाता है, ताकि मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

(v) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(vi) मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए, एनसीबी ने मिशन स्पंदन शुरू किया है। आध्यात्मिक रूप से जागरूकता फैलाने और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इसकी लत से छुटकारा पाने के लिए 05 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने, दिनांक 03.09.2025 को, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू का उद्देश्य सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में मादक पदार्थों के सेवन के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है।

*****